रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30102025-267271
SG-DL-E-30102025-267271

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]	दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 21, 2025/आश्विन 29, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 295
No. 320]	DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 2025/ASVINA 29, 1947	[N. C. T. D. No. 295

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2025

एफ.एन.15(28)/एलएबी/2024/3705-3708.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, अधिसूचना संख्या एफ. 27/59-हिम (i) दिनांक 13 जुलाई, 1959 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में सहायक कानूनी सलाहकार के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

1 **संक्षिप्त नाम और प्रवृत्त होने की तारीख :**

i) इन नियमों को "सहायक विधि सलाहकार" भर्ती नियम, 2025 कहा जा सकता है।

ii) ये नियम दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोग:** ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल -** पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में इसका लेवल इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं आदि: उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. अयोग्यताएं : कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने,

क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित है, अथवा

ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह उपबंधित है कि सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति: यदि सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना अनिवार्य है, तो वहां वह आदेश द्वारा, तथा लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इस नियम के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या किसी अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1	**पद का नाम**	सहायक विधि सलाहकार
2	पदों की संख्या	2*(2025) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन के अधीन
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय राजपत्रित समूह 'ख'
4	पे मैट्रिक्स में पे लेवल	पे मैट्रिक्स में लेवल -7 रुपये 44900-1,42,400
5	चयन पद है या अचयन पद है	चयन पद
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8	क्या सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी?	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति, अन्यथा प्रतिनियुक्ति

11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	**पदोन्नति** : - पे लेवल-6 (35400-1,12,400) में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ विधि सहायक **नोट:-** पे लेवल-6 (35400-1,12,400) में 05 वर्ष की नियमित सेवा वाले मौजूदा लिटिगेशन सहायक भी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। **प्रतिनियुक्ति :** केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों/स्वायत्त या सांविधिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी:- क. i.) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या ii.) मूल संवर्ग या विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल-06 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा पूरी की हो।; और कानून में डिग्री के साथ श्रम कानून में दो वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो (फीडर ग्रेड में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।) (प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) की अवधि सामान्यतः 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें केंद्र सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) की अवधि भी शामिल है। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) **मानक नोट:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या 2 वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
12	यदि कोई डीपीसी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	1 समूह 'ख' डी.पी.सी. (पदोन्नति/स्थायीकरण पर विचार हेतु): (i) वित्त आयुक्त - **अध्यक्ष** (ii) सचिव (श्रम), दिल्ली सरकार - **सदस्य** (iii) विशेष सचिव (सेवाएँ), दिल्ली सरकार **- सदस्य** (iv) संबंधित विभागाध्यक्ष, जब तक कि वे दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हों - **सदस्य**

13	भर्ती करने में यूपीएससी से परामर्श लेने की परिस्थितियाँ	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अ"ाोक कुमार सचिव–सह–आयुक्त(श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st October, 2025

F.N.15(28)/LAB/2024/3705-3708.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F.27/59-Him (i) dated 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Legal Advisor in the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short title and commencement:**

   i) These rules may be called the "Assistant Legal Advisor" Recruitment Rules, 2025.

   ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Application: These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and Level in the Pay Matrix. - The number of post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be a specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.: The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.

5. Disqualifications: No person,

a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax: Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons in consultation with UPSC.

7. **Saving**: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	Name of post	Assistant Legal Advisor
2	No. of Posts	2*(2025) *subject to variation dependent on work load
3	Classification	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted Group B
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 Rs 44900-1,42,400 in the Pay Matrix.
5	Whether selection post or non- selection post	Selection Post

6	Age limit for direct recruits	Not applicable
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	Promotion failing which Deputation
11	In case of recruitment by promotion/ deputation / transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	Promotion : - Legal Assistant with 5 years of Regular Service in pay level-6,(35400-1,12,400) Note:-Existing Litigation Assistant with 05 years of regular service in Pay Level-6 (35400-1,12,400) will also be eligible for promotion. Deputation: Officers of the Central Government/State Government/Union territories/ Autonomous or Statutory Organization/PSUs/Universities/Recognized Research Institutions:- a. i.) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; OR ii.) With 5 years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-06 of pay matrix in the parent cadre or department; AND possessing degree in law with two years experience in labour laws (The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.) (Period of Deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or another organization/ department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 03 years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.) Standard Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility services are being considered for promotion, their senior would

		also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
12	If a DPC, exists, what is its composition	1 Group 'B' D.P.C. (for considering promotion/confirmation) : (i) Financial Commissioner- Chairman (ii) Secretary(Labour) GNCT of Delhi – Member (iii) Special Secretary (Services), Govt. of NCT of Delhi-Member (iv) Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Govt. of NCT of Delhi – Member
13	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
ASHOK KUMAR, Secy.-cum-Commissioner (Labour)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.30 17:55:11 +05'30'